216

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सार्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र.

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R-2540-II/14

गोविन्द पिता केदार लोहार निवासी ग्राम पटेहरा तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म.प्र. --- आवे./निगरानीकर्ता

बनाम.

फंधारी पिता मोंदी यादव निवासी ग्राम पटेहरा तह. चितरंगी जिला सिंगरौली म.प्र. ---- गैर निगरानीकर्ता/ अनावेदक

श्री आर.के. अहिरवार एड. द्वारा आज दिनांक 23.06.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के रा. प्र. क्र. 69 अपील/11-12 आदेश प्रतिलिपि दिनांक 6.05.2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व सं. 1959 ई.।

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

1:- यह कि फंधारी पिता मोंदी यादव द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय, चितरंगी के न्यायालय में म.प्र. भू. रा. सं. की धारा 115,116 के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई उपरान्त राजस्व प्रकरण क्रमांक 80/अ-6अ/10-11 संस्थित कर दिनांक 28.09.12 को आदेश पारित किया जिसमें ~~आवेदक और~~ गैर निगरानीकर्ता को एक वर्ष की खसरा कब्जा के कैफियत के कालम लिखने का आदेश पारित किया गया ।

2:- यह कि निगरानीकर्ता गोविन्द द्वारा उक्त पारित आदेश के विरुद्ध माननीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0**R.2540–II**/14 — जिला–सिंगरौली

गोविन्द लोहार/पंचधारी यादव

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	